झारखण्ड सरकार

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (बजट) सत्र

(दिनांक 19 फरवरी, 2014)

में

डॉ. सैयद अहमद

माननीय राज्यपाल, झारखण्ड

का

अभिभाषण

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (बजट) सत्र एवं नव वर्ष 2014 के प्रथम सत्र में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, और झारखण्ड के जनता की खुशहाली और समृद्धि की शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं यहाँ अपने उन उद्गारों को दोहराना चाहता हूँ जो मैंने इस गरिमामय सदन को संबोधित करते हुए पूर्व में भी व्यक्त किया है। मेरा यह सौभाग्य है कि अतुलनीय प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध तथा असीमित संभावनाओं से पूर्ण प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोगों की सरलता और प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर अतुलनीय है।

2. हमारी सरकार ने अल्प समय में ही राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए गंभीर एवं सार्थक प्रयास किये हैं। जनता की आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए झारखंड सरकार कृतसंकल्पित है। सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी दूर करने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, सामुदायिक विकास तथा प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

3. राज्य का चतुर्दिक विकास मापदंडों के अनुरूप करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी सजगता एवं चौकसी के साथ कार्य कर रही है और स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। विकास के सभी क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण विकास, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन, उच्चतम नागरीय सुविधा उपलब्ध कराने, पेयजल की सुविधा, समाज के पिछड़े अल्पसंख्यक, दबे–कुचले, शोषित वर्गों के जीवन–स्तर में उत्थान, उपलब्ध मानव संसाधन को आधुनिक आवश्यकताओं

के परिप्रेक्ष्य में दक्ष बनाने, बुनियादी सुविधाओं को आम जन तक सहज रूप में पहुँचाने इत्यादि में हमारी सरकार प्रशंसनीय कार्य कर रही है।

4. माननीय सदस्यगण, हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक सजगता एवं सतर्कता के कारण सामाजिक सौहार्द्र में वृद्धि हुई है और कोई भी साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाली घटना को घटने नहीं दिया गया है। हमारी सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी कोई घटना घटने नहीं दी जायेगी, जिससे प्रदेश के अमन–चैन के वातावरण पर कोई आँच आये या साम्प्रदायिक सौहार्द्र को ठेस पहुँचे।

5. राज्य में संभावित उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप भविष्य में होने वाले रोजगार में अप्रत्याशित वृद्धि के अवसर का समुचित उपयोग करने के लिए शिक्षित एवं दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता के मद्देनजर मेरी सरकार राज्य में सामान्य शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार का प्रयास कर रही है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार में जहाँ सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी है कि सभी बच्चों को सामान्य रूप से उत्कृष्ट एवं व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त हो सके और वे अपनी प्रतिभा का उपयोग कर राष्ट्र एवं राज्य के सर्वांगीण विकास में महती भूमिका निभा सकें, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक परिवेशजनित तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक–से–अधिक तकनीकी विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना करने एवं गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ–साथ तकनीकी महाविद्यालयों की स्थापना निजी क्षेत्र के सहयोग से करने की कार्रवाई की जा रही है।

6. राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के प्रक्षेत्रों में कुल 48 विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक योजनाएँ कार्यान्वित हैं। हमारी सरकार नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत् अधिकार के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राप्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गाँधी विद्यालय आदि योजनाओं के माध्यम से नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है।

7. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे लगभग सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की सुविधा, मेधा छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। प्रारम्भिक विद्यालयों के सभी छात्र एवं छात्राओं को नि:शुल्क पोशाक भी दिया जा रहा है।

8. राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों में वर्षों से रिक्त पड़े इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के पद को भरने हेतु टेट की परीक्षा के सफल आयोजन के पश्चात् इन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

9. माध्यमिक शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। 894 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है तथा इन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता हेतु पद सृजन की भी कार्रवाई की गयी है। साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा 125 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. राज्य में शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े 203 प्रखण्डों में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम के मॉडल विद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार की

स्वीकृति के पश्चात् 89 मॉडल विद्यालय राज्य में संचालित हैं तथा 75 मॉडल विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। विशेष प्रखण्डों में भी मॉडल विद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई प्रगति पर है।

11. मदरसों को अनुदान देने के उद्देश्य से प्रस्वीकृति संबंधी नियमावली की शर्त्तों को शिथिल किया गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के 135 अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं 186 प्रस्वीकृत गैर सरकारी मदरसों को राज्य सरकार अनुदान के माध्यम से कार्यरत शिक्षकों को छठे पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन भुगतान हेतु राशि उपलब्ध करा रही है।

12. उच्च शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में अवस्थित 5 विश्वविद्यालयों और इन विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने की योजना है। राज्य में स्थापित किये गये विधि विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है।

13. झारखण्ड राज्य कौशल विकास मिशन के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य में झारखण्ड राज्य कौशल विकास मिशन का सोसाईटी अधिनियम के तहत गठन कर लिया गया है। अगले पाँच वर्षों में राज्य के पच्चीस लाख युवाओं के कौशल एवं दक्षता को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभिन्न विभागों/PSU/NGO/Corporate के माध्यम से 4.14 लाख युवाओं का कौशल विकास किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

14. तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य में विज्ञान प्रावैद्यिकी एवं अन्वेषण परिषद की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में डिग्री एवं डिप्लोमा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ससमय परीक्षा के आयोजन, परीक्षाफल प्रकाशन एवं शैक्षणिक सत्रों में एकरूपता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में

बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। राज्य के सभी तकनीकी संस्थान इसके नियंत्रण में आ जायेंगे।

15. तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार (TEQIP) का प्रथम चरण राज्य में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से TEQIP Phase-II के तहत् राज्य में अभियंत्रण महाविद्यालय को Upgrade किया जा रहा है। TEQIP-II के अन्तर्गत भाग लेने हेतु बी.आई.टी., मेसरा एवं कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाटीसिल्वे, राँची का चयन किया गया है।

16. पूर्व से स्थापित दस राजकीय पॉलिटेक्निक एवं तीन राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। सभी तेरह राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं नवनिर्मित राजकीय पॉलिटेक्निक सिल्ली में एक महिला छात्रावास का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से किया जायेगा। उक्त संस्थानों में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त संपोषित योजना "Community Development Programme Through Polytechnic" चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय के Drop out students एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवक युवतियों को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु नि:शुल्क तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

17. राज्य में कुल बीस नये राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें भारत सरकार के सहयोग से सत्रह विभिन्न जिलों में राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण कराया जायेगा। अब सभी जिलों में कम से कम एक पॉलिटेक्निक संस्थान होगा।

18. राज्य के विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों/डिप्लोमा संस्थानों में रिक्त पड़े शिक्षक संवर्ग से विभिन्न पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है एवं झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2013 का गठन किया गया है।

19. निजी क्षेत्रों के तकनीकी संस्थानों को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा परिसर (Technical Education Hub) की स्थापना की जानी है। इसके लिए राज्य के राजधानी, राँची के आस–पास पर्याप्त भूमि (500 एकड़) चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। तकनीकी शिक्षा परिसर का मूल उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तायुक्त सर्वांगीण विकास के लिए सभी आधुनिक सुविधाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध कराते हुए उच्चस्तरीय शिक्षण संस्थान, शोध एवं विकास कार्य को बढ़ाना एवं Inter-disciplinary studies को प्रोत्साहित करना है।

20. व्यावसायिक प्रशिक्षण Education Corporate Responsibility (ECR) का एक हिस्सा है। अतः इसके अन्तर्गत निजी एवं राजकीय क्षेत्रों के प्रत्येक तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक वर्ष एक हजार लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

21. हमारी सरकार के द्वारा बैटरी चालित रिक्शा का वितरण बी.पी.एल. कार्डधारी रिक्शा चालकों के बीच करने की योजना है। योजना के प्रथम चरण में कार्यान्वयन लक्ष्य दो शहरों (राँची एवं धनबाद) में परीक्षण के तौर पर किया जाएगा। हमारी सरकार का स्पष्ट निदेश है कि रिक्शा चालकों को आवास सुनिश्चित करने के लिए शहर के रैनबसेरों का पुनर्रोद्धार किया जाएगा जिसमें बैट्री चालित रिक्शा के चार्जिंग की व्यवस्था भी होगी।

22. राज्य में झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी है। इसके अन्तर्गत उत्पादन में आई इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा

है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में छोटे–बड़े कुल 1758 उद्योगों की स्थापना की गई है, जिसमें 6955 बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

23. राज्य में Self Help Group के माध्यम से **हर्ष योजना** का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 70,000 व्यक्तियों को कौशल विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

24. प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों एवं स्वतंत्र बुनकरों को लगभग 290 लाख रुपये के ऋण माफ किये गए हैं तथा 600 बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हुए प्रति बुनकर 2.00 लाख revolving fund की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में लगभग 30 प्राथमिक बुनकर समितियों को लाभान्वित करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है।

25. राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत अकुशल कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के माध्यम से कुल 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनवरी, 2014 तक 39.46 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराते हुए 9.66 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 48141 योजनाओं को पूर्ण करते हुए कुल 338.26 लाख मानव श्रम दिवस का सृजन किया गया है।

26. इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु. 43419.76 लाख व्यय कर 70972 इकाई इंदिरा आवास का निर्माण कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु. 29184.63 लाख व्यय कर 42516 इकाई इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

27. राज्य आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से 23 संस्थाओं द्वारा राज्य के 42081 ग्रामीण BPL परिवार के युवक/युवतियों को प्रशिक्षित कर 29648 को अभियांत्रिक, भवन निर्माण हेतु कुशल कारीगर, सुरक्षा गार्ड, खुदरा क्रय विक्रय, वेल्डिंग, फिटिंग, बिजली मिस्त्री, घरेलू BPO, बैंकिग एवं लोन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

28. झारखण्ड राज्य जलछाजन मिशन योजना के तहत जल एवं भूमि संरक्षण एवं आजीविका की स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में 2143.56 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में 443.00 लाख डी.पी.आर., ई.पी.ए., जलछाजन कार्यक्रम पर व्यय किया गया।

29. आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए विधायक योजना का कार्यान्वयन माननीय विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 9482 योजनाएँ ली गयी हैं, जिनमें से 2832 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं।

30. संजीवनी योजनान्तर्गत ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्रोत व्यक्ति की अवधारणा के तहत् पढ़े–लिखे युवा वर्ग को प्रशिक्षित कर ग्राम स्तर पर क्षमतावर्धन के कार्य में लगाया जायेगा।

31. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, प्राथमिक शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता, पशुपालन एवं मत्स्य, जल संसाधन तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। साथ ही राज्य के शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों का अपना वेबसाईट रजिस्टर कर लिया गया है, जिस पर पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपलोड किया जा सकेगा।

32. हमारी सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु राज्य संपोषित योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 406.00 करोड़ का बजटीय उपबंध किया है। अब तक 634.00 किलोमीटर की 106 योजनाएँ रु. 369.57 करोड़ खर्च कर पूर्ण हो चुकी हैं।

33. वित्तीय वर्ष 2013–14 में माननीय विधायक की अनुशंसा पर उनके विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले प्रखंड में प्रति प्रखंड 5.00 किलोमीटर पथ नव निर्माण हेतु लेने की योजना है।

34. वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से 2000.00 किलोमीटर पथ कार्य जिसकी राशि रु. 1000.00 करोड़ है, स्वीकृत कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 1250 अनजुड़े बसावटों को जोड़ा जाएगा तथा 12वें चरण के लिए पथ एवं लंबे पुलों के निर्माण की भी योजना है। संथालपरगना प्रक्षेत्र में वर्त्तमान में 535 पथ योजना चल रहे हैं, जिनकी कुल लंबाई 1596.00 किलोमीटर है। इस वित्तीय वर्ष में इस प्रक्षेत्र में 500.00 किलोमीटर पथ के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 2013 तक 335.00 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

35. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़कों विशेषकर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित्त सड़कों पर पुल–पुलिया का निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 100 पुलों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके विरुद्ध अब तक 68 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

36. राज्य में पथों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। राज्य में लोक–निजी भागीदारी अन्तर्गत पथों का उन्नयन BOT के आधार पर किया जा रहा है। राँची–पतरातू–रामगढ़ पथ, जिसमें राँची–पतरातू पथांश पूर्ण किया जा चुका है, राँची रिंग रोड के सेक्शन III, IV, V एवं VI का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चाईबासा –

सरायकेला – कान्ड्रा – चौका पथ का कार्य प्रगति में है। साथ ही आदित्यपुर–कान्ड्रा चौका पथ के 4 लेन मेन कैरिजवे का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

37. पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना में पथ के घनत्व को लगभग 130 किलोमीटर/1000 वर्ग किलोमीटर करने की योजना है। विभाग द्वारा नेटवर्क के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पथों को चिन्हित कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

38. राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011 माह अक्टूबर, 2013 से अधिसूचित की गई है। राजस्व वसूली की प्रक्रिया को सरलीकरण एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से वाहनों पर लिए जाने वाले रोड टैक्स एवं शुल्कों के ऑन लाईन भुगतान हेतु e-payment की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। वाहन से संबंधित जानकारी के लिए मोबाईल बेस सॉफ्टवेयर अधिष्ठापित किया गया है, जिसके माध्यम से किसी भी वाहन का निबंधन/बीमा/कर इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

39. राँची– लोहरदगा से टोरी रेल परियोजना में लोहरदगा से बड़कीचापी तक का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इस रेल खण्ड पर रेल परिचालन शुरू किया जा चुका है। कोडरमा गिरिडीह रेल परियोजना में कोडरमा से नवाडीह का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इस पर रेलवे परिचालन शुरू हो गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 तक उपरोक्त परियोजनाओं में झारखण्ड सरकार द्वारा देयता की पूर्ण राशि 2219 करोड़ रुपये रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करा दी गई है।

40. नई रेल परियोजना गोड्डा–हंसडीहा रेल लिंक योजना ली गई है। इस योजना की अनुमानित लागत रु. 267.09 करोड़ को राज्य सरकार एवं रेलवे मंत्रालय भारत सरकार के बीच 50 : 50 Cost Sharing basis पर एम.ओ.यू. किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष

2011–12 में इस योजना के लिए 20.00 करोड़ रुपये की राशि रेलवे को उपलब्ध करा दी गई थी तथा इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस मद में कर्णांकित 25.00 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस योजना को मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। गोड्डा–हंसडीहा रेल लिंक को और उपयोगी बनाने के लिए पीरपैती–गोड्डा तथा हंसडीहा–जसीडीह रेल लिंक हेतु रेलवे मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे शामिल कर लिया गया है एवं इस पर राज्य सरकार के स्तर से एम.ओ.यू. हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

41. हमारी सरकार द्वारा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् कुल 18797 ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध 17713 गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी योजना के तहत् कुल 1596848 बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत संबंध दिए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1305567 विद्युत संबंध दिए जा चुके हैं। इसी योजना के तहत् कुल 107 अद्द 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 85 उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

42. झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में दस नये ग्रिड एवं संबंधित उन्नीस संचरण लाईनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कार्य को जुलाई 2014 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है। इन संचरण परियोजनाओं के पूर्ण होने से समूचे राज्य की संचरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा।

43. विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु हमारी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक विकास कार्यक्रम योजना तैयार कर ली है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यत: नये शक्ति उपकेन्द्रों, वितरण उपकेन्द्रों का निर्माण, पुराने उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, उच्च विभव, निम्न विभव लाईन का निर्माण, नये उपभोक्ताओं एवं पुराने मीटर रहित उपभोक्ताओं को मीटर के साथ विद्युत संबंध उपलब्ध कराना आदि कार्य किये जा रहे हैं।

44. हमारी सरकार ने राज्य की जनता के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में 22.52 करोड़ रुपये की लागत से 8 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण किया है तथा 111.03 करोड़ रुपये की लागत से 10 अदद नई ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है एवं 142.62 करोड़ रुपये की लागत से 27 अदद नई जलापूर्त्ति योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में चतरा जिलान्तर्गत चतरा शहरी जलापूर्त्ति योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। साहेबगंज, पाकुड़, गढ़वा, जामताड़ा तथा चाईबासा शहरी जलापूर्त्ति योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

45. हमारी सरकार द्वारा बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ 2013 में 87102 क्विन्टल प्रमाणित धान, 118 क्विन्टल संकर धान, 826 क्विन्टल अरहर बीज, 452 क्विन्टल उड़द बीज, 260 क्विन्टल मक्का बीज, 170 क्विन्टल मडुआ बीज किसानों के बीच 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किया गया है। आकस्मिक फसल योजनान्तर्गत खरीफ 2013 में राज्य में 847 क्विन्टल उड़द बीज, 2126 क्विन्टल तोरिया बीज एवं मूँग 1604 क्विन्टल का वितरण किया गया है। राज्य के किसानों के जोखिम को कम करने हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना चलाई जा रही है।

46. **NeGP-A** योजना अंतर्गत राँची, बोकारो, दुमका, पलामू, चाईबासा जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र एवं सभी जिला मुख्यालय तथा 180 कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र में कम्प्यूटर स्थापित कर ई–गर्वनेंस शुरू किया गया है। कृषि कार्य में नये अनुसंधानों को कृषकों के बीच पहुँचाने एवं कृषि कार्य में उनकी दक्षता के विकास के लिये जैसमीन की स्थापना की गई है, जिससे प्रतिवर्ष 15000 महिला एवं पुरुष कृषकों को प्रशिक्षण कराया जा सकेगा।

47. कृषि यांत्रिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु 2000.00 लाख रु. के लागत पर 100 प्रखण्ड स्तरीय कृषि बैंक की स्थापना कराई जा रही है, जहाँ से छोटे एवं कमजोर वर्ग के कृषक न्यूनतम भाड़े पर कृषि यंत्र प्राप्त कर कृषि कार्य में उपयोग कर सकेंगे। लघु एवं सीमांत कृषकों के बीच अनुदानित दर पर कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत छोटे–बड़े 5358 कृषि यंत्रों का वितरण किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता पर पड़ेगा एवं समय की बचत भी होगी।

48. सुवर्ण रेखा परियोजना हेतु AIBP के अन्तर्गत भारत सरकार से रु. 851.26 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। अजय बराज योजना का कार्य पूर्ण होने से क्षेत्र में खरीफ सिंचाई प्रारम्भ की जा चुकी है। बटेश्वर स्थान पम्प नहर योजना के नहरों का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति में है। गढ़वा जिले के सोनपुरवा में दानरो नदी पर वियर निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

49. हमारी सरकार ने 67.78 करोड़ की लागत से बनने वाली रायसा जलाशय योजना का कार्य 60% पूर्ण कर लिया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना से बुण्डू प्रखण्ड के 3145 हे. क्षेत्र में खरीफ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। सोनुआ जलाशय, रामरेखा जलाशय योजना एवं अपरशंख जलाशय योजना का शीर्ष कार्य पूर्ण कर उपयोग के लिए जलाशय में जल भंडारण प्रारम्भ किया जा चुका है। कोनार सिंचाई परियोजना के अवशेष लगभग 1 किलोमीटर टनेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसे अगले दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। टनेल निर्माण कार्य पूर्ण होते ही योजना से सिंचाई प्रारम्भ की जा सकेगी।

50. भौरा बाँध बराज योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे 240 हे. क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन होगा। कोकरो सिंचाई योजना, किता वीयर

योजना, कैराबनी जलाशय योजना, त्रिवेणी वीयर योजना, बड़ा नदी योजना एवं घाघरा जलाशय योजना के ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने हेतु पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर है।

51. साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाएँ तट पर ग्राम नारायणपुर के पास कटाव निरोधक कार्य एवं ग्राम बुधवरिया से कन्हैया स्थान के बीच कटाव निरोधक पूर्ण कर लिया गया है। गंगा कटाव का स्थायी समाधान की सुरक्षा हेतु बाढ़ संघर्षात्मक कार्य पूर्ण कर NH-80 को सुरक्षा प्रदान की गई है।

52. हमारी सरकार ने लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन AIBP अन्तर्गत 570 चेकडैम का निर्माण तथा 86 अदद माइक्रोलिफ्ट निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना मद से 10 अदद चेकडैम, 12 अदद उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत 82 चेकडैम योजनाओं हेतु AIBP के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, राँची को समर्पित किया गया है। वर्ष 2013–14 में सुवर्णरेखा परियोजना का एक महत्वपूर्ण अवयव गजिया बराज का एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

53. सरकार द्वारा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए कई जनोन्मुखी एवं कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों विशेषकर कृषकों को सहकारिता के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। राज्य में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू है। जनजातीय इलाकों में महिला सशक्तीकरण हेतु विशेष प्रयास के रूप में ''दीदी समृद्धि योजना'' चलाई जा रही है। योजना के तहत् महिला कुक्कुट पालक सहकारी समितियों को ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। लोहरदगा एवं बोकारो जिलों में 3.00 लाख चूजे प्रतिमाह क्षमता के दो हैचरीज का निर्माण कराया जा चुका है जहाँ लगभग 84.00 लाख चूजों का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

54. राज्य में अभी 2038 लैम्प्स एवं 2345 पैक्स कार्य कर रहे हैं। ये समितियाँ अपने कृषक सदस्यों को लघु एवं मध्यम अवधि के ऋण उपलब्ध कराने, फसल बीमा कराने, बीज, कीटनाशक और उर्वरक आदि के बिक्री एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न हैं। झारखण्ड की जनजातियों के लिए जीविका का महत्वपूर्ण स्रोत लाह उद्योग को मजबूती प्रदान करने हेतु लगभग 200 स्वयं सहायता समूह, जिनमें 3000 महिलाएँ शामिल हैं, गठित की गई हैं। इन महिलाओं को प्रशिक्षण आदि दिया जा रहा है।

55. राज्य में गव्य विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध की समुचित बिक्री की सुदृढ़ व्यवस्था के लिये झारखण्ड स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड का गठन व निबंधन कराया गया है।

56. वित्तीय वर्ष 2013–14 में केन्द्र प्रायोजित चारा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 12.046 करोड़ रुपये की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत 75% केन्द्रीय अनुदान पर 10 हजार पशुपालकों को हस्तचालित तथा 2 हजार प्रगतिशील पशुपालकों को विद्युत चालित चारा काटने की मशीन का वितरण किया जा रहा है।

57. चालू वित्तीय वर्ष में कौशल क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के तहत 10,000 लक्ष्य के विरुद्ध 7,466 ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षित किया गया है। धनबाद में 20 हजार लीटर क्षमता की डेयरी का शिलान्यास किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 35 गोकुल ग्राम विकास केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

58. वित्तीय वर्ष 2012–13 में लगभग 96,600 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है तथा चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख 15 हजार मेट्रिक टन के विरुद्ध अब–तक 83,300 मेट्रिक टन मछली

का उत्पादन हो चुका है और इसे एक लाख मेट्रिक टन के रिकॉर्ड उत्पादन तक पहुँचाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है।

59. स्थानीय भागीदारी एवं स्वामित्व के सिद्धान्त के आधार पर 3600 प्रशिक्षित मत्स्य मित्र/मत्स्य बीज उत्पादक के माध्यम से राज्य के जलकरों में लगभग 112 करोड़ मत्स्य बीज की माँग के विरुद्ध 105 करोड़ मछली का बीज संचयन चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है। ताजी मछली के तीव्र एवं हाईजेनिक विपणन तथा मत्स्य बीज के तीव्र परिवहन करने के उद्देश्य से अब–तक 62 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को विभाग द्वारा अनुदान पर पिक–अप वैन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को आईस–बॉक्स एवं साईकिल उपलब्ध कराया जा रहा है।

60. कौशल विकास योजना अंतर्गत युवाओं के स्व–नियोजन हेतु 3200 युवकों को मत्स्य पालन हेतु निबंधित एवं प्रशिक्षित किया गया है। 5000 मत्स्य कृषकों को वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही विभागीय योजनाओं एवं मछली पालन की नई विधियों से अवगत कराने हेतु पंचायत स्तर पर 40 हजार मत्स्य कृषकों के लिये ग्राम गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं।

61. हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सर्व सुलभ बनाने के उद्देश्य से अनुबंध पर कार्यरत 200 चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा को नियमित कर दिया है तथा 30 नये औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति की है। एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत 141 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, 21 एलोपैथी चिकित्सा पदाधिकारी, 27 नर्सिंग ट्यूटर एवं 10 अन्य कर्मियों की नियुक्ति भी की गई है।

62. लगभग 16 हजार सहियाओं को मुफ्त साईकिल उपलब्ध कराया गया है। स्टेट मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। 20

सीटों वाली ''104'' हेल्थ इन्फॉरमेशन हेल्पलाईन की स्थापना हेतु चयनित एजेन्सी के साथ एकरारनामा किया गया है। इसकी स्थापना से राज्य के किसी भी क्षेत्र से दूरभाष पर नि:शुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्रत्येक दिन 24 घण्टे प्राप्त किया जा सकेगा।

63. रिम्स में हृदय रोग, कैंसर, युरोलॉजी एवं पैडियेट्रिक सर्जरी के लिए सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। कुल 902 चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 36 पारामेडिक्स का पद सृजित किया गया है जिस पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में सभी सरकारी अस्पतालों में अंत:वासी एवं बहिर्वासी मरीजों को मुफ्त दवा देने की योजना है।

64. मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति के सभी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न नि:शुल्क देने का प्रावधान है और इसके तहत वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 360.00 लाख राशि का प्रावधान है। हमारी सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत दिनांक 30 एवं 31 जुलाई 2013 को राँची में क्षेत्रीय परिचर्चा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया एवं राज्य में अबतक कुल 17764 पट्टा वितरित किया गया है।

65. संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना में आधारभूत संरचना निवास की योजनाएँ यथा लघु सिंचाई योजना, आवासीय विद्यालयों में कक्षा, छात्रावास निर्माण, ग्रामीण अस्पताल निर्माण, सोलर लाईट आपूर्ति आदि संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2012 में कुल 3219 हज यात्रियों को एवं वर्ष 2013 में 3273 हज यात्रियों को हज यात्रा पर भेजा गया ।

66. भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के बहुआयामी विकास हेतु झारखण्ड के छ: जिलों– राँची, खूँटी, गुमला, सिमडेगा, साहेबगंज एवं पाकुड़ का चयन किया गया है और इसके तहत

181.40 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे कुल 8549 इन्दिरा आवास, 143 स्वास्थ्य केन्द्र, 981 आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण किया गया है एवं 08 आई.टी.आई. तथा 02 पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन हैं।

67. स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 5 वर्ष से ऊपर के नि:शक्त व्यक्तियों को प्रतिमाह रु. 400/- (चार सौ रुपये) सम्मान राशि दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 114615 निःशक्तजनों को योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत सरकार द्वारा शैक्षणिक कार्य हेतु छात्रवृत्ति दी जा रही है।

68. उच्च शिक्षा में इच्छुक किन्तु आर्थिक तंगी, पारिवारिक कारणों अथवा संसाधनों की अनुपलब्धता की वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी राँची जिले की 11 किशोरी बालिकाओं को उच्च शिक्षा यथा B.Tech, BBA आदि हेतु झारखण्ड राय यूनिवर्सिटी में नामांकन कराया गया है। सभी जिलों में पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरी बालिकाओं में से औपचारिक शिक्षा में समावेश हेतु इच्छुक किशोरियों का कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में नामांकन कराया गया है।

69. झारखण्ड राज्य में विभिन्न वन विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर हरियालीकरण (वृक्षारोपण) का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्थानीय समुदायों की आजीविका पूर्ति हेतु वन आधारित उद्योगों की स्थापना द्वारा रोजगार सृजन से सतत आय वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

70. ''लघु वन पदार्थों का उन्नयन'' योजना के अन्तर्गत 3430 हे. वन भूमि में 5714931 लाह एवं तसर पोषक वृक्षों का रोपण किया गया है। लाह एवं तसर की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु 2750 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 27500 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

71. हमारी सरकार ने **सोना–सोबरन धोती–साड़ी** नाम की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ किया है। इस योजनान्तर्गत सभी बी.पी.एल. परिवारों को प्रत्येक छमाही प्रति परिवार एक धोती एवं एक साड़ी 10.00 रुपये प्रति के अनुदानित दर पर वितरण किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। नमक वितरण योजनान्तर्गत राज्य के सभी बी.पी.एल. परिवारों को प्रतिमाह 1 किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक 50.00 पैसे की अनुदानित दर से वितरित किया जाता है।

72. राज्य के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र लागू किया जायेगा जिससे राज्य की 2,64,43,330 जनसंख्या लाभान्वित होगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत 9,17,900 अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह साथ ही साथ 40,90,404 पात्र गृहस्थों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।

73. हमारा राज्य एक खनिज बाहुल्य प्रदेश है जो ऊर्जा, नवीकरण, उर्वरक, औद्योगिक, आण्विक, युद्ध–कौशल संबंधी एवं बहुमूल्य प्रकार के खनिजों से परिपूर्ण है। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना कर प्रदेश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा सकता है। राज्य में लौह अयस्क पर राजस्व की वृद्धि हेतु भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित बेंच मार्क मूल्य वृद्धि करायी गयी है, जिसके फलस्वरूप लौह अयस्क से प्राप्त होनेवाले राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

74. हमारा राज्य उग्रवाद से प्रभावित है। उग्रवाद की रोकथाम हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना सहित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत आधुनिक शस्त्र, सुरक्षा उपकरण आदि का क्रय, पुलिस लाईन एवं थाना भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। अपराध एवं अपराधियों को ट्रैक करने के लिए CCTNS परियोजना के अन्तर्गत 358 थाना तथा 94 उच्चस्तरीय कार्यालयों को जोड़ दिया गया है। इसके तहत् Online FIR दर्ज किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

75. राज्य पुलिस को e-Rahat योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के अधीन आम नागरिक दूरभाष से सूचना देकर पुलिस से तात्कालिक मदद हेतु अनुरोध कर सकते हैं। राज्य में अवैध मानव तस्करी की रोकथाम हेतु राँची जिला में कोतवाली थाना, पश्चिमी सिंहभूम का सदर थाना, लोहरदगा का सदर थाना एवं पलामू सदर थाना को ए.एच.टी.यू. (Anti-Human Trafficking Units) अधिसूचित किया गया है।

76. उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की नीति के तहत् अबतक 59 नक्सलियों को नवनिर्मित ओपेन जेल–सह–पुनर्वास कैम्प, हजारीबाग में रखा गया है। इसमें इन बंदियों को सपरिवार पुनर्वास हेतु संसीमित किया गया है। Prison Management System and Visitor Management System में बंदियों से संबंधित संधारित विवरणी को Web-based करने की कार्रवाई की जा रही है। रामगढ़, बरही, नगर उटाँरी, मधुपुर एवं चक्रधरपुर में नये जेल का निर्माण प्रगति पर है। अपराध पीड़ितों के कल्याणार्थ पीड़ित कल्याण कोष, 2014 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

77. राज्य में कार्यरत गृह रक्षकों का दैनिक कर्तव्य भत्ता रु. 200/– से बढ़ाकर रु. 300/– किया गया है।

78. राँची, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावाँ, लोहरदगा, खूँटी एवं बोकारो जिला में DBT के द्वारा अभी तक कुल 4.39 लाख Transaction हो चुका है तथा इसके माध्यम से रु. 33 करोड़ राशि Transfer की गई है। मनरेगा, PDS, Scholarship पेंशन स्कीमों में आधार का सीडिंग पूरे राज्य में किया जा रहा है।

79. राज्य में हमारी सरकार द्वारा आधार–आधारित मनरेगा भुगतान 2 अक्टूबर 2013 को शुरू कर दी गई है। आधार–आधारित PDS गोविन्दपुर ब्लॉक धनबाद से शुरू हो चुका है। NSAP, वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप योजनाओं में आधार–आधारित भुगतान शुरू है।

80. हमारी सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं के निरूपण एवं सूत्रण की कार्रवाई कर रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य के विकास दर का लक्ष्य 11.05 प्रतिशत रखा गया है, जिसमें कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमश: 6.5 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत एवं 11.00 प्रतिशत होगा।

81. खुशी की बात है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय का अग्रिम आकलन किया गया है, जिसके अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 43,384/– रुपया अनुमानित हुआ है, जो पिछले वर्ष की वार्षिक आय रु. 38,258/– से 13.40 प्रतिशत अधिक है।

82. राज्य के सभी सरकारी एवं प्राईवेट चिकित्सा संस्थानों द्वारा मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से निर्गत किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इससे पता चलेगा कि कौन–कौन सी बीमारी के कारण अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है, ताकि उक्त बीमारी की रोकथाम एवं उपाय के लिए उचित कदम उठाया जा सके।

83. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यनीति योजना के कार्यान्वयन से राज्य में एक सशक्त सांख्यिकी प्रणाली विकसित कर सभी प्रक्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, समयपरक एवं निष्पक्ष आँकड़े प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार से प्राप्त गुणात्मक आँकड़ों के आधार पर सही एवं सटीक योजनाओं का निरुपण कर राज्य के विकास को और गति प्रदान किया जा सकेगा।

84. प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से आम जनता को ई–नागरिक सेवा से जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

85. राज्य में Electronic Service Delivery Rule 2013 अधिसूचित किया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं का ऑनलाईन प्रदाय अनिवार्य हो जायेगा। राज्य में e-Rahat

सेवा शुरू कर दी गई है। इसके तहत मात्र एक मोबाईल कॉल पर कुछ ही मिनटों के अन्दर घटना स्थल पर कार्रवाई संभव है। चोरी, आगजनी, सड़क दुर्घटना, बलात्कार, डकैती आदि में कोई भी व्यक्ति **Toll Free No. 1967** पर सूचना देकर इस सेवा का उपयोग कर सकता है।

86. हमारी सरकार ने भू–अभिलेखों का संचयन एवं संरक्षण करने हेतु राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया है। भू–अभिलेखों का कम्प्यूटराईजेशन, नक्शों का डिजिटाईजेशन, सभी राजस्व कार्यालयों एवं निबंधन कार्यालयों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य, अंचल स्तर पर आधुनिक रिकॉर्ड रूम एवं डेटा सेंटर का निर्माण, जिला एवं राज्य स्तर पर डेटा सेंटर का निर्माण तथा आधुनिक तकनीक से सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

87. जमशेदपुर एवं धनबाद में STPI की स्थापना करने के उद्देश्य से DPR तैयार कर लिया गया है। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, राँची द्वारा राज्य के दूर दराज इलाकों में शिक्षा की सुविधा पहुँचाने के लिए Tele Education Hub स्थापित किया जा रहा है। SSDG परियोजना के तहत झारखण्ड का नया पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसे शीघ्र Police Data Centre में लाँच किया जायेगा। राज्य के विद्यार्थियों को Online Scholarship उपलब्ध कराने में और बेहतर सुविधा देने के लिए e-pass नामक सॉफ्टवेयर लागू करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है।

88. हमारी सरकार की संवेदनशीलता, सक्रियता एवं पारदर्शिता की व्यवस्था से कार्यों के निष्पादन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही जनसमस्याओं के निराकरण हेतु **जनता दरबार** का आयोजन की व्यवस्था अत्यन्त सफलता

से कार्य कर रही है और जनसामान्य को व्यापक राहत का एहसास हुआ है। प्रशासनिक कार्यों के निस्तारण में चुस्ती आई है और हर स्तर के अधिकारी पूरी दक्षता से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। यह नई कार्य संस्कृति राज्य की जनता में शासन के प्रति विश्वास एवं आस्था विकसित करेगी, ऐसा विश्वास है। हमारी सरकार राज्य की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।

89. माननीय सदस्यगण, मैंने अभी आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की है। इसी सत्र में आपके समक्ष बजट प्रस्तुतीकरण के अवसर पर वर्त्तमान कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी का एक और अवसर उपलब्ध होगा। इसी सत्र में वित्तीय वर्ष 2014-15 का आय-व्ययक और चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें भी आपके समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी, जिनको और तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित करने की आपसे अपेक्षा होगी।

90. मेरी सरकार इस बात से पूर्णत: सहमत है कि कुशल और प्रभावी प्रशासनिक संस्थाएँ तीव्र आर्थिक विकास की कुंजियाँ होती हैं, गुणात्मक सामाजिक परिवर्तन की संवाहक होती हैं। प्रशासनिक संस्थाएँ कुशल एवं प्रभावी हों इसके लिये इन्हें पारदर्शी, क्रियाशील, जवाबदेहपूर्ण तथा संवेदनशील बनाया जा रहा है। इस क्रम में राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये निगरानी तंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है।

91. भारतीय लोकतंत्र में अराजकता या उच्छृंखलता का कोई स्थान नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निरूपित राष्ट्रीय उच्चादर्श के आलोक में माननीय सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार सदन की गरिमा को बढ़ाने वाला रहे ऐसी उम्मीद राष्ट्र निर्माताओं की हमसे रही है और हमारी

जनता भी हमसे मयार्दित और अनुकरणीय आचरण की आशा रखती है। राज्य में विकास एवं खुशहाली बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। इस दिशा में आपके प्रयासों पर पूरे प्रदेश की सतर्क निगाहें लगी रहेंगी।

92. अंत में, मैं पुनः कहना चाहूँगा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और मेरी इस गरिमामय सदन के सभी सदस्यों से गुजारिश है कि आप सभी दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर राज्य के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लें। हमें अपनी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये पूरी तत्परता एवं समर्पण से कार्य करना होगा। आईये हम सब मिल कर एक समुन्नत एवं समृद्ध झारखण्ड का निमार्ण करें।

जय हिन्द! **जय झारखण्ड!**